लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
047/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/138)	19-07-2024	07-08-2024

अनवान

मोहम्मद हनीफ पिता गनी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 17, एनजीटी 40, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 95718 00134)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./047/2024(सू.अ.)(07.08.2024)/398 दिनांक 22.07.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 07.08.2024 अपील अपीलार्थी ने उपस्थित होकर लिखित अभिवचन प्रस्तुत किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/174 दिनांक 24.07.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री मोहम्मद हनीफ पिता गनी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 17, एनजीटी 40, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/न्याय/आर.टी.आई./16–12()2024/1056 दिनांक 27.06.2024 से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/230 दिनांक 02.07.2024 से प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई हैं। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र वांछित सचूना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं, जिससे प्रकरण में अपील निस्तारण योग्य है।
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत लिखित अभिवचन का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया हैं कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू हैं।

हमने अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2024 के संबंध में प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) अति. जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ द्वारा लोक सूचना अधिकारी को अपीलार्थी/प्रार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में सूचित किया गया हैं कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र से वांछित सूचना अधिनियम 2005 की धारा 8 की उप–धारा (01) के बिन्दु संख्या ''छ'' के तहत अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं हैं। प्रभारी अधिकारी, न्याय द्वारा लोक सूचना अधिकारी को अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2024 के संबंध में सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई गई, जिसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/230 दिनांक 02.07.2024 से अपीलार्थी को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य हैं,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किन्तु हाजिर अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से प्रेषित पत्र दिनांक 02.07.2024 आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाना उचित होगा की अपीलार्थी को प्रेषित दिनांक 02.07.2024 एवं उसके साथ संलग्न पत्रों की प्रतियां जरिये रजिस्टर्ड डाक के पुनः प्रेषित करावें।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 10.06.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.08.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official